कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2018/11सी–रायबरेली/20102, दिनांक, लखनऊ, मार्च 28, 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0)
भारत सरकार,
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंत्रम तल, से0–एच,
अलीगंज, लखनऊ।

विषय : जनपद रायबरेली में लखनऊ–इलाहाबाद मार्ग (एन0एच0–24बी) किमी0 83 व 84 के मध्य रेलवे सम्पार संख्या–24 ए (मामा चौराहा) रायबरेली के बांयी ओर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण हेतु 0.2791 हे0 संरक्षित वनभूमि **(संशोधित 0.3462 हे0)** संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 06 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/06/91/2016/एफ0सी0/337, दि0 19.10.2016,

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा इंगित त्रुटियों के निराकरण हेतु प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय को वापस प्राप्त हुयी थीं। इंगित सूचनाओं को पूर्ण करने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय व प्रयोक्ता एजेंसी के स्तर से अपेक्षित थी।

उक्त के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रायबरेली के पत्रांक–3547/14–10–4, दिनांक 15.03.2017 द्वारा इंगित त्रुटियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित संशोधित प्रस्ताव की एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक–प्रस्ताव की प्रतिं सी.डी. सहित।

भवदीय,

(वाई0एस0के0श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2018 / उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ।
2– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रायबरेली।
4– प्रतिलिपि उप परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0,राज्य सेतु निर्माण इकाई, जनपद–प्रतापगढ़।

(वाई0एस0के0श्रीवास्तव)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।